झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा [redacted] नसून)सत्र

संख्या-04 गुरुवार, दिनांक-19 जुलाई, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.25 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के अधिकांशत: माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और दिनांक-18.07.2018 को बिरसा चौक(राँची) पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जाँच की माँग करने लगे,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव अपने द्वारा प्रस्तुत कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की माँग करने लगे एवं माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत लाठीचार्ज करवाने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की माँग दुहराई जिसका विरोध सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, सर्वश्री बिरंची नारायण, हरिकृष्ण सिंह, निर्भय कुमार शाहाबादी, जानकी प्रसाद यादव, राम कुमार पाहन एवं डॉ० जीतू चरण राम ने पुरजोर तरीके से किया। सदन में उक्त उत्पन्न स्थिति पर आसन द्वारा नाराजगी जतायी गयी तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय सदस्यों को अपनी बातें रखने का निदेश दिया गया,

iii- आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने बिरसा चौक पर हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को जानकारी दी कि कार्यकर्त्ता उग्र होकर बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे जिसके कारण पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, इस क्रम में भगदड़ होने के कारण कुछ लोग घायल हुए जिन्हें प्रशासन द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया(शोरगुल एवं नोंकझोंक),

iv- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रहपूर्वक कहा कि लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन किये जाने का सबको अधिकार है, लेकिन बर्बरतापूर्ण लाठीजार्च कराये जाने का अधिकार किसी को नहीं है,

v- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि विगत कुछ सत्रों से यह सदन अविश्वास, अहंकार एवं विपक्ष के विचारों के प्रति अनादर का शिकार है। भाजपा के जनक श्री लालकृष्ण आडवाणी ने दिनांक-13 मई, 2012 को लोकसभा की कार्यवाही के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में कहा था कि कनाडा के टी.वी. चैनल वाले उनसे मिलने आये थे और भारत में मजबूत लोकतंत्र की सफलता का राज उन्होंने पूछा था जिसपर श्री आडवाणी ने कहा था कि यहाँ विपरीत विचारधारा के प्रति सहनशीलता एवं आदर का भाव ही इसका मूल कारण है क्योंकि 60 वर्षो से यहाँ जो भी सरकारें रही है उन्होंने विपरीत विचारधारा के प्रति भी सहनशीलता के प्रति आदर का भाव दिखलाते हुए सार्थक बहस से बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा है, इसीलिए हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वर्त्तमान सरकार से भी अपेक्षा की,

P.T.O.

vi- आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिरसा चौक पर घटित घटना के सम्बन्ध में पुनः स्थिति को स्पष्ट की गयी।

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

विभिन्न मुद्दों पर सर्वश्री प्रदीप यादव, कुणाल षडंगी, आलमगीर आलम एवं श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा दिये गये अलग-अलग कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इन्हें अमान्य कर दिया गया।

(भारी शोरगुल)

3.विविध चर्चायें(क्रमांक-1 से जारी):-

i- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने लोहरदगा में दस वर्ष पूर्व मृत व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर वारंट जारी करना, को दुःखद बताया और इसकी जाँच की माँग की,

ii- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ट्रस्ट के सम्बन्ध में दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि नोवेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा की तस्वीर छापना अत्यंत ही दुःखद है और सरकार से सी.बी.आई. जाँच की माँग की(इस क्रम में झारखण्ड विकास मोर्चा एवं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य विपक्ष के माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये),

iii-आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया कि वर्त्तमान सरकार किसी भी जाति, धर्म और सम्प्रदाय तथा परम्परा का सम्मान करती है, इसीलिए मिशनरीज से सम्बन्धित विषय की जाँच सी.आई.डी. से कराये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया जा चुका है,

iv-आसन द्वारा माननीय मुख्य सचेतक (सत्तारुढ़ दल) एवं नेता प्रतिपक्ष को निदेश दिया गया कि सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए माननीय सदस्य, श्री कुणाल षड़ंगी को ससम्मान अन्दर लाया जाय। इस अवसर श्री षड़ंगी को सदन के अन्दर लाया गया तत्पश्चात् उन्होंने अपनी समस्याओं से सदन को अवगत कराया।

इस क्रम में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी होती रही जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया, अतएव सभा की **कार्यवाही 11.52 बजे पूर्वा० से 2.00 बजे अप०** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने अन्तराल के पूर्व माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों को **''अफजल गुरू का शिष्य''** कहे जाने की बात कही जिसे माननीय मंत्री द्वारा **''अफजल गैंग के सदस्य''** कहे जाने की बात कही गयी)

4.प्रतिवेदनों का सभा पटल पर रखा जाना:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री अरुप चटर्जी द्वारा प्रश्न-ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का **62वाँ, 63वाँ, 64वाँ, 65वाँ तथा 66वें प्रतिवेदन** की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

5.विधेयकों की वापसी:-

i- राजस्व निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी ने दिनांक-28 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा पारित झारखण्ड वित्त विधेयक, 2016 जिसे भारत सरकार के आर्थिक मामले के मंत्रालय द्वारा त्रुटियों के कारण वापस कर दिया, के वापसी का

P.T.O.

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-110 के तहत सभा द्वारा वापस लिया गया,

ii- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पालिवार ने दिनांक- 23 नवम्बर, 2016 को सभा द्वारा पारित झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार(विनियमन) विधेयक, 2016 जिसे माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा कतिपय कठोर प्रावधानों के समाविष्ट करने के बिन्दु पर सदन द्वारा पुनर्विचार किये जाने हेतु वापस कर दिया, के वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-110 के तहत सभा द्वारा वापस लिया गया।

6.विधायी कार्य:-

(क)झारखण्ड नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 13, खण्ड-1, तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड नगरपालिका(संशोधन)विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही को छोड़कर सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

(ख)झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण(संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1 तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन)विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) बंगाल आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

P.T.O.

(4)

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड बंगाल आगरा एवं असन व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन)विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2018

माननीया मंत्री, कल्याण विभाग, श्रीमती लुईस मराण्डी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 17, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा सदन के बाहर आमरण अनशन पर बैठे माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता का अनशन तुड़वाये जाने और पलामू-गढ़वा में हुए सुखाड़ पर सदन में विशेष चर्चा कराये जाने का अनुरोध किया गया। इसके उपरांत माननीय सदस्य, श्री शिवशंकर उरांव एवं श्री लक्ष्मण टुडू ने राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की माँग की। माननीय सदस्य, सर्वश्री योगेश्वर महतो, राज सिन्हा, बिरंची नारायण, नवीन जयसवाल, ढुलू महतो, डॉ० जीतू चरण राम, प्रो० जय प्रकाश वर्मा एवं श्री मनीष जायसवाल ने विस्थापन आयोग बनाये जाने की माँग की। माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने युवा आयोग बनाये जाने की माँग की तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास द्वारा उक्त सभी माँगों पर मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचार किये जाने हेतु सदन को आश्वस्त किया। इसके उपरांत सदन की कार्यवाही **3.25 बजे अप० से लेकर शुक्रवार, दिनांक-20.07.2018 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 19 जुलाई, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।